

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/डी-16/2013/अलेसे-III/6259

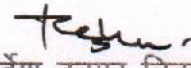
दिनांक :- 19/11/2020

कार्यालय आदेश

महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/जनद्वि/2020/358 दिनांक 08.09.2020 के अनुसार श्री दिनेश कुमार शर्मा, क०लेखाकार कार्यालय तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा को परिवादी श्री दंगाराम मीणा से रिश्वत राशि 11000/- रुपये लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 26.08.2020 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। श्री शर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 186/2020 पंजीबद्ध करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री शर्मा को इनकी गिरफ्तारी दिनांक 26.08.2020 से सेवा से निलम्बित किया जाता है। श्री शर्मा को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम-53 के अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

श्री दिनेश कुमार, क०लेखाकार का राज्य सेवा से निलम्बन अवधि में मुख्यालय कोषाधिकारी, कोष कार्यालय सचिवालय जयपुर में निर्धारित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री शर्मा नियमित रूप से मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति देंगे।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/डी-16/2013/अलेसे-III/6259

दिनांक :- 19/11/2020

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ० नि० ब्यूरो दौसा को सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर।
4. कार्यालय कोषाधिकारी,।
5. तहसीलदार, लालसोट, जिला दौसा।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)